न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

...010 — 16/2024

उनवान : —

1. महेन्द्र सिंह पुत्र छोटूराम जाति नायक निवासी घोटड़ा पट्टा हाल निवासी ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा) — प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—श्री महेश कुमार बंसल प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 13/12/24

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम घोटड़ा पट्टा पटवार हल्का कुंजी के खाता संख्या 29/40 के खसरा संख्या 52 की 6.1210है0 बारानी व खसरा संख्या 53 की 5.7160है0 बारानी कुल खसरे 2 की 11.8370है0 बारानी संयुक्त खाते की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में प्रार्थी के पिता छोटू पुत्र जीता के नाम 1/12 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम छोटू पुत्र जीता दर्ज है। जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम छोटूराम पुत्र जीसुखराम है। छोटू पुत्र जीता संवहन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया, प्रार्थी के पिता का देहान्त हो चूका है जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र में भी छोटूराम पुत्र जीसुखाराम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी के पिता का नाम अलग—अलग दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी का सही उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी अपने पिता का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का काननी अधिकारी है।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट प्राप्त की गई ।

साक्ष्य प्रार्थी में महेन्द्रसिंह पुत्र छोटूराम द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र, निर्वाचन पहचान पत्र, पेन कार्ड, ड्राइंविग लाइसेंस, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कुंजी आदि प्रर्दशित करवायें।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस [illegible] ने कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम छोटुराम पुत्र जिसुखराम है [illegible] छोटू पुत्र जीता दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानी [illegible] सामना करना पड़ता है अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों व रिपॉर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी का सही नाम छो[illegible] पुत्र जिसुखराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:19:02 IST
Reason: SelfAttested

Kalpit
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा घोटड़ापट्टा के खाता सं0 29/40 के खसरा संख्या 52 की 6.1210है0 बारानी व खसरा संख्या 53 की 5.7160है0 बारानी कुल खसरे 2 की 11.8370है0 बारानी में प्रार्थी के नाम 1/12 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम छोटू पुत्र जीता दर्ज है, पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता नाम छोटू राम पुत्र जिसुख राम है तथा तहसीलदार भादरा द्वारा प्राप्त रिपॉर्ट में भी उक्त अंकन राजस्व रिकार्ड में विरासतन दर्ज होना बताया गया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र/वाद प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घोटड़ापट्टा के खाता सं0 29/40 के खसरा संख्या 52 की 6.1210है0 बारानी व खसरा संख्या 53 की 5.7160है0 बारानी कुल खसरे 2 की 11.8370है0 बारानी में प्रार्थी के पिता के नाम 1/12 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में छोटू पुत्र जीता का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम छोटूराम पुत्र जीसुखराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। एवं कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय छोटू पुत्र जीता के नाम से हो तो उसके लिए प्रार्थी के पिता का नाम छोटू पुत्र जीता ही लागू होगा। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/12/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़ — मुहर)

Kalpit

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:19:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

मि0न0 – 16/2024

अनवान : –

1. महेन्द्र सिंह पुत्र छोटूराम जाति नायक निवासी घोटड़ा पट्टा हाल निवासी ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)

– प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री महेश बंसल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घोटड़ापट्टा के खाता सं0 29/40 के खसरा संख्या 52 की 6.1210है0 बारानी व खसरा संख्या 53 की 5.7160है0 बारानी कुल खसरे 2 की 11.8370है0 बारानी में प्रार्थी के पिता के नाम 1/12 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में छोटू पुत्र जीता का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम छोटूराम पुत्र जीसुखराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। एवं कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय छोटू पुत्र जीता के नाम से हो तो उसके लिए प्रार्थी के पिता का नाम छोटू पुत्र जीता ही लागू होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

Kalpit

(कल्पित शिवरान)
R.A.S

उपखण्ड अधिकारी
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:19:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner